



दिशानिर्देश एवं निर्देश

फैक्ट्री के स्वामित्व में परिवर्तन

आवेदक को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञापन प्राधिकरण को अनुज्ञापन के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले दिशा-निर्देशों/निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदन पत्र पर उचित हस्ताक्षर के साथ स्वामी/भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की दिनांक और मुहर, जैसा भी मामला हो।
2. चाय फैक्ट्री के पक्ष में टी बोर्ड द्वारा जारी मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र या 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड, विधिवत् नोटरीकृत, जिसमें यह उल्लेख हो कि चाय फैक्ट्री (चाय फैक्ट्री का नाम) के पक्ष में जारी मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है, जैसा भी मामला हो और इसके द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि यदि बाद में यह प्रमाणपत्र मिल जाता है तो इसे टी बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।
3. पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/न्यायालय आदेश/पंजीकृत पट्टा विलेख।
4. कंपनी के लिए: निदेशकों में से किसी एक द्वारा विधिवत् प्रमाणित ज्ञापन और संस्था के अनुच्छेद तथा निगमन का प्रमाण पत्र; या साझेदारी फर्म के लिए: साझेदारी का विलेख, कम से कम दो भागीदारों द्वारा विधिवत् सत्यापित; या स्वामित्व फर्म के लिए: नाम और आवासीय पते के साथ एकल स्वामित्व की घोषणा, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जिसका मूल्य 100/- रुपये से कम न हो, विधिवत् नोटरीकृत।
5. यदि संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त न होने के कारण पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/न्यायालय आदेश/पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तो आवेदक को (क) 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा, जिसकी विधिवत् पुष्टि कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष की गई हो, जिसमें यह उल्लेख हो कि स्वामित्व में परिवर्तन से उत्पन्न विवाद की स्थिति में कंपनी टी बोर्ड को क्षतिपूर्ति करेगी, (ख) विक्रेता एवं क्रेता के बीच विधिवत् नोटरीकृत बिक्री के लिए समझौता और (ग) क्रेता द्वारा भूमि राजस्व के भुगतान का प्रमाण।
6. आवेदन शुल्क 1,16,000/- रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है।

ध्यान दें:

1. स्वामित्व में परिवर्तन बोर्ड द्वारा दर्ज किया जाएगा, बशर्ते कि नीति के अनुसार बोर्ड को देय अपेक्षित बकाया ऋण का भुगतान कर दिया गया हो या आवेदित संबंधित चाय फैक्ट्रियों के लिए विक्रेता द्वारा तथा कंपनी के स्वामित्व वाली सभी पंजीकृत चाय फैक्ट्रियों के लिए क्रेता द्वारा नियमित भुगतान किया जा रहा हो।
2. उपरोक्त बिंदु सं. 5 में उल्लिखित छूट केवल उन फैक्ट्रियों (एस्टेट और बीएलएफ दोनों) पर लागू है जो सरकारी भूमि पर स्थित हैं और जिनके लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति आवश्यक है। अन्य सभी फैक्ट्रियों (एस्टेट और बीएलएफ दोनों) के लिए, उपरोक्त बिंदु सं. 3 में उल्लिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
3. एस्टेट फैक्ट्री के मामले में, फैक्ट्री के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले संबंधित चाय एस्टेट के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित प्रमाण पत्र टी बोर्ड से प्राप्त करना होगा।
4. यह दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अब से, सभी आवेदनों (नए और मौजूदा दोनों) पर इसी दिशानिर्देश के अनुसार विचार किया जाएगा।